

जिलाबदर एक शातिर हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान क क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्रि के पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री दिनेश दत्त मिश्र के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.12.2024 को थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर जिलाबदर के आदेश की अवहेलना करने वाला एक हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को प्राथमिक विद्यालय अतरसावां के पास से अभियुक्त समीर राय उर्फ राजू राय पुत्र सुबाष राय निवासी अतरसावां थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 251/24 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम 1970 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया ।

अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 251/24 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम 1970 थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

गिरफ्तार जिलाबदर, हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त-

1. समीर राय उर्फ राजू राय पुत्र सुबाष राय निवासी अतरसावां थाना दोहरीघाट जनपद मऊ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमेन्द्र कुमार सिंह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
2. उ0नि0 श्री भाष्कर राय थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
3. का0 बृजमोहन थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
4. का0 सुनील कुमार यादव थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 26.12.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना कोपागंज पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर कसारा मोड़ के पास से मु0अ0सं0 155/24 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त श्यामप्रीत पुत्र जोगिन्द्र राजभर निवासी कसारा मोड़ थाना कोपागंज व थाना रानीपुर पुलिस द्वारा इटौरा बाजार के पास से मु0अ0सं0 226/24 धारा 137(2), 87, 61(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त चॉद भारती पुत्र श्रीनाथ राम निवासी खिरीय थाना रानीपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।